हिन्दुस्तान पटना • मंगलवार • 06 अगस्त 2013 08

मनरेगा में अतिरिक्त धन से वंचित नहीं रहा बिहार

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सीएजी की रिपोर्ट में मनरेगा में बिहार के साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए से वंचित रहने की बात कही गई है। यह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया भ्रामक आंकड़ा है। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि मनरेगा मांग आधारित अधिनियम है, आवंटन आधारित नहीं है। मांग आधारित होने की वजह से इसमें आवंटन नहीं होता है। जितने लोगों ने काम मांगा, उन्हें दिया जाता है। जितने काम की मांग हुई, उसके आधार पर पैसे खर्च किए गए हैं। ऐसे में बिहार का अतिरिक्त रुपए से वंचित रहने का सवाल ही नहीं उठता है।

उन्होंने कहा कि बिहार अकेला ऐसा राज्य है, जिसने मनरेगा में 500 करोड़ रुपए का एक कॉरपस फंड बनाया है। ताकि केन्द्र से आवंटन मिलने में देरी होने पर भी मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा सके। तीन साल पहले यह फंड बनाया गया है और इसके खर्च में 31 फीसदी की वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार से धन के प्रवाह में काफी अड़चने आती रही हैं। पिछले वर्ष एक हजार करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन महज 50 करोड़ रुपए मिले। केन्द्र लेबर बजट का आधा किसी वर्ष नहीं देता है। जबकि मनरेगा के नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। केन्द्र से फंड का काफी बड़ा हिस्सा मार्च में प्राप्त होता है। वर्ष 2010 से अभी तक के खर्च का सारा हिसाब मनरेगा की वेबसाइट पर मौजूद है। राज्य में एक करोड़ 33 लाख परिवारों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। इसमें 40 लाख जॉब कार्ड ही प्रयोग में हैं। नियमानुसार जॉब कार्ड कोई भी बनवा सकता है। इस वजह से इतने जॉब कार्ड बन गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता के काफी कम मामले सामने आए हैं।

विभागीय सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि 2013-14 का लेबर बजट 2600 करोड़ रुपए का है। इसमें केन्द्र से अभी तक एक हजार करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। पांच महीनों में 700 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। राज्य में महीने में औसत 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

मंत्री का दावा

- मनरेगा में कॉरपस फंड बनाने वाला बिहार एकमात्र राज्य
- यह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया भ्रामक आंकड़ा